



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 454 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 454

विषय / Sub: विनिर्देश डी ई एफ-1408 के लिए ई टी सी एच प्राइमर
ETCH Primer to Specification DEF - 1408

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स साउथफील्ड पेंट्स लिमिटेड, प्लॉट सं. 102बी-106, मालूर 3 फेस, इंडस्ट्रियल एरिया कनच्चिकनहल्ली, मालूर तालुक, मालूर - 563130, कर्नाटक, द्वारा विकसित एवं उत्पादित " विनिर्देश डी ई एफ-1408 के लिए ई टी सी एच प्राइमर " (डीईएफ 1408-एसटीडी 80-15, इश्यू-2 द्वारा सूपरसीड किया गया), को संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/106/3, दिनांक 12 मार्च 1984, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 454 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-454-8आर, दिनांक 08 अगस्त 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी और संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-571/7आर/1संशोधन, दिनांक 05 अप्रैल 2016 द्वारा संशोधन जारी किया गया है।

This is to state that the "ETCH Primer to Specification DEF-1408" (Superseded by DEF 1408-STD 80-15, issue-2), developed and manufactured by M/s. Southfield Paints Ltd, Plot No. 102B-106, Malur 3rd Phase, Industrial Area Kanachikkanahalli, Malur Taluk, Malur - 563130, Karnataka was issued with Type Approval No.: 454 vide Ref. No.: Aero/RD-132/106/3, dated 12th March 1984. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 454-8R, dated: 08th August 2013 with its validity up to 30th June 2018 And Amended Vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-571/7R/1Amd, dated: 05th April 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु- 560 037, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli Colony Post, Bengaluru – 560 037 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/106/3, दिनांक 12 मार्च 1984 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Referance. No.: Aero/RD-132/106/3, dated 12th March 1984 is amended as stated herewith.

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA - 454/9R

दिनांक/Date : 06 July 2018

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856





पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)